न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 85 / 2022

1 दयालसिंह पुत्र बचन सिंह जाति राजपूत निवासी दादली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दलीप सिंह पुत्र जीवणसिंह।
2 जितेन्द्र सिंह पुत्र जीवणसिंह।
3 जीवणसिंह पुत्र केशरसिंह।
4 भागीरथ सिंह पुत्र केशरसिंह।
5 सोन कंवर पत्नी दुर्जनशाल सिंह।
6 सुरजभान सिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह।
7 सुरेन्द्र सिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह।
8 मोतीसिंह पुत्र केशरसिंह।
9 ओमकंवर पुत्री बचनसिंह।
10 किस्मत कंवर पुत्री मीना कंवर पुत्री बचनसिंह।
11 गजेन्द्र सिंह पुत्र मीना कंवर पुत्री बचनसिंह।
12 चांद कंवर पुत्री बचनसिंह।
13 प्रेम कंवर पुत्री बचनसिंह।
14 बिन्दु कंवर पुत्री मीना कंवर पुत्री बचनसिंह।
15 माया कंवर पुत्री मीना कंवर पुत्री बचनसिंह।
16 राकेश सिंह पुत्र मीना कंवर पुत्री बचनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्रम दादली तहसील व जिला सीकर।
17 दरिया कंवर पुत्री जगदीश सिंह उर्फ जुगलसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 पूनम कंवर पुत्री जगदीश सिंह उर्फ जुगलसिंह।
19 सुरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह उर्फ जुगलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राजस्थान।
20 इलाहाबाद बैंक शाखा सीकर राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक।
21 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली जरिये शाखा प्रबन्धक।
22 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पिपराली सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
23 पटवारी पटवार हल्का चैनपुरा तहसील व जिला सीकर।
24 तहसीलदार सीकर जरिये भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 27.07.2022 उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरीमा लाटा आर.ए.एस. आवेदन संख्या 63/2022 बउनवानी दलीप सिंह आदि बनाम जीवणसिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री अरूण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवंत भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हेमन्त जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–23-12-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 63/2022 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक वाद उनवानी दलीपसिंह आदि बनाम जीवणसिंह आदि मुकदमा नम्बर 78/2022 वास्ते उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 हेतु प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद के साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत करने पर विचाराधीन आदेश से एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था। दिनांक 27.07.2022 को अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये रिकार्डे खातेदार को पाबन्द किया है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश को अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश 151 सीपीसी के आवेदन पर पारित किया गया है। विधि अनुसार 151 में पारित आदेश की निगरानी पोषणीय होती है। अपील पोषणीय नही होती है। अत इस आदेश के विरूद्व सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष उपस्थित हो चुके है। अपील चलने योग्य नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल आवेदन धारा 212 पर उभयपक्ष को सुना जाकर अन्तिम निर्णय किया जाना शेष है। इससे पूर्व इस स्तर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है न्यायहित में विचारण न्यायालय को उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 को आगामी दो माह में अन्तिम रूप से निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर